श्री दुर्गानन्द झा, अपर समाहर्ता, मधुबनी द्वारा दिनांक–03.10.2018 को भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेनीपट्टी, के न्यायालय का किये गये निरीक्षण की टिप्पणीः–

श्री संजीव कुमार, बि0प्र0से0, राजस्व एवं भूमि सुधार विभागीय अधिसूचना के अनुपालन में भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेनीपट्टी, के रूप में दिनांक–31.08.2018 को प्रभार ग्रहण किये। इनके पूर्व श्री मुकेश रंजन, अनुमण्डल पदाधिकारी, बेनीपट्टी ही भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेनीपट्टी के रूप में दिनांक– 24.07. 2017 से 30.08.2018 तक प्रभार में रहे। श्री विष्णुदेव मंडल दिनांक– 24.08.2015 से 21.03.2017 तक भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेनीपट्टी के प्रभार में रहे।

श्री जगन्नाथ ठाकुर, लिपिक नवम्बर 2017 से भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेनीपट्टी के उपस्थापक के प्रभार में हैं। इनसे पूर्व श्री विमलकान्त झा उपस्थापक के प्रभार में थे।

1– दाखिल–खारीज अपील वादों की पंजीः

वाद पंजी संधारित है।

1.4.18 तक लंबित	2018–19 में दायर	कुल वाद	गत माह तक निष्पादित	प्रतिवेदित माह में निष्पादित	कुल निष्पादित	90 दिनों से अधिक लंबित	कुल लंबित
03	04	07	00	00	00	04	07

बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा–7 के अंतर्गत अंचल अधिकारी द्वारा निष्पादित दाखिल वादों का अपीलीय प्राधिकार भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय है। वाद पंजी एवं कोर्ट पंजी संधारित की गई है। मात्र 07 दाखिल खारिज अपील वाद इनके न्यायालय में दायर है जो प्रक्रियाधीन है। बताया गया कि भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेनीपट्टी का पद काफी दिनों तक रिक्त रहा इसलिए वाद का निष्पादन ससमय नहीं किया जा सका।

भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेनीपट्टी को निदेशित किया गया कि विधिवत् सुनवाई कर निर्धारित समय–सीमा के अंदर वादों का निष्पादन किया जाय। आदेश पारित होने पर आदेश की प्रति जिला के वेबसाईट पर भी अपलोड कराया जाय।

2– भू0हदबंदी धारा–16 (3) वाद पंजी/कोर्ट डायरीः

वाद पंजी संधारित है।

1.4.18 तक लंबित	2018–19 में दायर	कुल वाद	गत माह तक निष्पादित	प्रतिवेदित माह में निष्पादित	कुल निष्पादित	90 दिनों से अधिक लंबित	कुल लंबित
06	01	07	01	00	01	05	06

मात्र 06 (छः) वाद भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेनीपट्टी के न्यायालय में दायर है जो प्रक्रियाधीन है। बताया गया कि सुनवाई की जा रही है। शीघ्र सुनवाई कर निष्पादन करने का निदेश दिया गया है।

यह भी निदेशित किया गया कि आदेश पारित होने पर इसे जिला के वेबसाईट पर अपलोड कराया जाय।

3– लगान निर्धारण अभिलेख पंजी:

वाद पंजी संधारित है।

1.4.18 तक लंबित	2018–19 में दायर	कुल वाद	गत माह तक निष्पादित	प्रतिवेदित माह में निष्पादित	कुल निष्पादित	90 दिनों से अधिक लंबित	कुल लंबित
01	00	01	00	00	00	01	01

मात्र 01 वाद दायर है जो प्रक्रियाधीन है। त्वरित निष्पादन का निदेश दिया गया।

4– बटाईदारी वाद अभिलेख पंजी:

वाद पंजी संधारित है। भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा बताया गया कि एक वाद बी0टी0एक्ट की धारा–48 (ई) के तहत इस न्यायालय में दायर है।

निदेशित किया गया कि विभागीय मार्ग–निर्देश के अनुसार सुनवाई कर वाद का निष्पादन ससमय कर दिया जाय।

5– भू–विवाद निराकरण अधिनियम अभिलेख वाद पंजी:

वाद पंजी संधारित की गयी है।

1.4.18 तक लंबित	2018–19 में दायर	कुल वाद	गत माह तक निष्पादित	प्रतिवेदित माह में निष्पादित	कुल निष्पादित	90 दिनों से अधिक लंबित	कुल लंबित
26	87	113	03	00	03	81	110

भू–विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के अंतर्गत वादों का निष्पादन 90 दिनों के अंदर किया जाना है। 01.04.2018 से पूर्व लंबित वादों की संख्या–26 इस वित्तीय वर्ष में दायर वादों की संख्या–87 है। कुल दायर वादों की संख्या– 113 है जिसके विरूद्ध 03 निष्पादित है। 90 दिनों से अधिक लंबित वादों की संख्या–81 है। निष्पादन की गति धीमी है। बताया गया कि एक माह पूर्व ही भूमि सुधार उप समाहर्ता का पदस्थापन हुआ है। काफी दिनों तक यह पद रिक्त रहा है। वर्तमान भूमि सुधार उप समाहर्ता को निदेशित किया गया कि त्वरित गति से वादों की सुनवाई कर निष्पादित करें।

6– अतिक्रमण अपील वाद पंजी:

वाद पंजी संधारित है। इस वित्तीय वर्ष में एक भी वाद दायर नहीं हुआ है तथा पूर्व का लंबित शून्य है।

7– नीलाम पत्र वाद अभिलेख पंजी:

वाद पंजी संधारित है।

1.4.18 तक लंबित	2018–19 में दायर	कुल वाद	गत माह तक निष्पादित	प्रतिवेदित माह में निष्पादित	कुल निष्पादित	कुल लंबित	सन्निहित राशि
481	00	481	00	00	00	481	75627754

कार्यवाहक लिपिक द्वारा बताया गया कि नीलाम पत्र के 446 वाद कार्यपालक दण्डाधिकारी, बेनीपट्टी के जिम्मे है, जिसमें सन्निहित राशि मो0 40782988.00 है किन्तु निष्पादन शून्य है जो खेद का विषय है। इस संबंध में जिला नीलाम पदाधिकारी के स्तर से कार्यपालक दण्डाधिकारी, बेनीपट्टी से स्पष्टीकरण पूछा जाना आवश्यक है ताकि वादों का निष्पादन शीघ्र हो सके।

यह भी बताया गया कि अनुमण्डल पदाधिकारी, बेनीपट्टी के जिम्मे 35 नीलाम पत्र वाद है जिसमें मो0 34844766.00 सन्निहित है किन्तु निष्पादन शून्य है। अनुमण्डल पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि लंबित वादों का त्वरित गति से निष्पादन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही निष्पादन में हो रहे विलम्ब के लिए अपना स्पष्टीकरण भी जिला पदाधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ समर्पित करेंगे।

कार्यपालक दण्डाधिकारी, बेनीपट्टी के जिम्मे लंबित वादों का विवरण निम्न प्रकार है:–

क0	अधियाची विभाग	दायर वाद	निष्पादन	लंबित	सन्निहित राशि
01	भारतीय स्टेट बैंक	205	00	205	20016116.00
02	सेन्ट्रल बैंक	06	00	06	548798.00
03	उ0वि0ग्रा0बैंक	176	00	176	14897662.00
04	इलाहाबाद बैंक	15	00	15	1418693.00
05	सहायक वाणिज्य कर मधुबनी	07	00	07	470883.00
06	जिला परिवहन, मधुबनी	03	00	03	220394.00
07	समागीत श्रम आयुक्त, जयपुर	01	00	01	60014.00
08	भू0विकास बैंक	18	00	18	1560397.00
09	प्र0वि0पदाधिकारी	10	00	10	968831.00
10	जि0खनन मधुबनी	5	00	5	621200.00
कुल		**446**	**00**	**446**	**40782988.00**

अनुमण्डल पदाधिकारी, बेनीपट्टी के जिम्मे लंबित वादों का विवरण निम्न प्रकार है:–

क0	अधियाची विभाग	दायर वाद	निष्पादन	लंबित	सन्निहित राशि
01	पंजाब नेश्नल बैंक	25	00	25	2793209.00
02	बैंक ऑफ इंडिया	10	00	10	691557.00
कुल:–		**35**	**00**	**35**	**3484766.00**

श्री संजीव कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेनीपट्टी को नीलाम पत्र पदाधिकारी की शक्ति प्रदत्त नहीं हुआ है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला नीलाम पत्र शाखा को निदेशित किया जाता है कि जिन पदाधिकारियों को नीलाम पत्र पदाधिकारी की शक्ति प्रदत्त नहीं हुआ है उनका प्रस्ताव तुरत आयुक्त महोदय को तुरत भेजें ताकि नीलाम पत्र वादों का त्वरित निष्पादन हो सके।

8— **<u>साहुकारी वाद अपील अभिलेख पंजी:</u>**

वाद पंजी संधारित है। एक भी अपील वाद दायर नहीं है।

9— **भूमि बन्दोवस्ती अभिलेख पंजी:**

वाद पंजी संधारित है। भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा बताया गया कि मधवापुर एवं बेनीपट्टी अंचल से भू–बंदोवस्ती अभिलेख प्राप्त हुआ था, जिसे त्रुटिमार्जन हेतु वापस लौटा गया है। भूमि सुधार उप समाहर्ता को निदेशित किया गया कि स्वयं पहल कर अंचल से त्रुटिमार्जन अभिलेख प्राप्त कर विधिवत् उसका निष्पादन किया जाय ताकि बंदोवस्ती के उपरान्त लाभूकों को लाभान्वित किया जा सके।

इसमें किसी भी प्रकार का विलम्ब न करें।

10— **सीमांकन वाद अपील:**

बताया गया कि सीमांकन का एक भी अपील वाद लंबित नहीं है।

11— भूदानः—

1.4.18 तक लंबित	2018—18 में दायर	कुल वाद	गत माह तक निष्पादित	प्रतिवेदित माह में निष्पादित	कुल निष्पादित	90 दिनों से अधिक लंबित	कुल लंबित
00	00	00	00	00	00	00	00

बताया गया कि एक भी मामला भूदान यज्ञ से संबंधित सम्पूष्टि हेतु लंबित नहीं है।

भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेनीपट्टी के न्यायालय कार्य निरीक्षण के कम में पाया गया कि अभिलेखों का संधारण कार्यवाहक लिपिक द्वारा सही ढ़ंग से नहीं किया गया है। सभी अभिलेख में मुख्य पृष्ठ (Title page) की आवश्यकता है। साथ ही पदाधिकारी के समक्ष सुनवाई की निर्धारित तिथि का Cause list संधारित नहीं की जाती है, जो आवश्यक है। भूमि सुधार उप समाहर्ता को निदेशित किया गया कि स्वयं अभिरूचि लेकर पंजी एवं अभिलख को दुरूस्त कराते हुये नियमित रूप से न्यायालय का संचालन कर वादों का निष्पादन निर्धारित समय—सीमा के अंदर सुनिश्चित करें। साथ ही विभागीय निदेश के अनुपालन में पारित आदेश को उसी दिन जिला के वेबसाईट पर अपलोड भी कराया जाय।

8.10.18

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।

ज्ञाप संख्या 2716 /जि0रा0 मधुबनी दिनांक 08/10/2018

प्रतिलिपिः—भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेनीपट्टी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—कार्यपालक दण्डाधिकारी—सह—नीलाम पत्र पदाधिकारी, बेनीपट्टी अनुमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— अनुमण्डल पदाधिकारी, बेनीपट्टी—सह—नीलाम पत्र पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, मधुबनी जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यकय कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— प्रभारी पदाधिकारी,जिला नीलाम पत्र शाखा, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—आयुक्त के सचिव, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—समाहर्ता, मधुबनी की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

8.10.18

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।